



Prakash Industries Limited

(MINING DIVISION)

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
A/9 Shatabdi Nagar, Behind Songanga Colony,
Seepat Road, Bilaspur 495006 (C.G.)
Tele. : 98930 - 51093 Fax : 07752 - 258480/612
Email : md_bsp@prakash.com

CIN - L27109HR1980PLC010724

क्र./पी.आई.एल./बिला./भा.को.मा./व.प्र.प्र./2022-23/238 दिनांक: 28.11.2022

प्रति,

श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी,
सूरजपुर वनमण्डल,
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

विषय:- भास्करपारा कोल ब्लॉक में प्रभावित वनभूमि 515.581 हे. क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत्।

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/MIN/149564/2021

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3353 सूरजपुर, दिनांक 10.06.2022
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से संस्थान की भास्करपारा कोयला खनन परियोजना हेतु समावेशित 515.581 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के अवलोकन पश्चात् पाई गई कमियों एवं त्रुटियों को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी नवीन चेक लिस्ट के अनुसार सुधार कर समस्त आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज एवं मानचित्र सहित तैयार किया गया है साथ ही साथ समस्त जानकारी उपरोक्त वर्णित प्रपोजल नंबर में MOEF के वेबसाइट (Parivesh Portal) पर भी ऑनलाईन मानीट्रिंग सिस्टम में JPG Format में स्कैन कर अपलोड कर दिया गया है अपलोड की गयी जानकारी का बिन्दुवार विस्तृत विवरण 6 प्रतियों में सी.डी. के साथ संलग्न है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को संज्ञान में लेते हुये यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सादर.....

कृते प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(ए.के.चतुर्वेदी)
निदेशक (कंपनी मामले)



संलग्न- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध), अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

Regd. Office : 15 Km Stone, Delhi Road Hissar - 125 044 (Haryana) INDIA
Corporate Office : Srivan, Najafgarh-Bijwasan Road, Bijwasan, New Delhi-110061
Tel.: 25305800, 28062115, Fax: 91-11-28062119, E-mail : pilho@prakash.com, Website: www.prakash.com

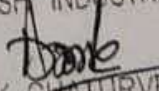
**वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव
GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख (चेक लिस्ट)**

क्र.	अभिलेख का विवरण	चाही गयी जानकारी का विशेष विवरण	अनुपालन
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र।	आवेदक विभाग का मांग पत्र के साथ फार्म-ए एवं संस्थान द्वारा किसे अटर्नी का अधिकार दिया गया है। अभिलेख संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 01/1, 01/2 एवं 01/3 में संलग्न है।
2.	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	आवेदक संस्थान का सील एवं हस्ताक्षर नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 02/1 में संलग्न है।
3.	वन क्षेत्र विवरण।	संलग्न है।	संलग्न है।
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण।	गैर वन क्षेत्र विवरण संबंधित तहसीलदार से सत्यापित नहीं कराई गई है।	परिशिष्ट क्र. 4.1 से 4.7 में संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर।	सर्वे ऑफ इण्डिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर। (संलग्न नहीं है)	परिशिष्ट क्र. 05/1 में संलग्न है।
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप।	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (संलग्न नहीं है)	परिशिष्ट क्र. 06/1 में संलग्न है।
7.	प्रपत्र - 4 में प्रस्ताव।	संलग्न है।	संलग्न है।
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप।	विस्तृत टीप संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 08/1 में संलग्न है।
9.	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी)	प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।	वचन पत्र संलग्न है।
10.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र।	प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।	वचन पत्र संलग्न है।
11.	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (जिन प्रकरणों में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगाकर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।	प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 11/1 में संलग्न है।
12.	वृक्ष विदोहन विवरण।	संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 12/1 में संलग्न है।
13.	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस।	संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 13/1 में संलग्न है।

FOR, PRAKASH INDUSTRIES LIMITED

(A. K. CHATURVEDI)
DIRECTOR (CORPORATE AFFAIRS)

क्र.	अभिलेख का विवरण	चाही गयी जानकारी का विशेष विवरण	अनुपालन
14.	- चयनित गैर वन क्षेत्र/ निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) - राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)	संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 14/1 से 14/5 में संलग्न है।
15.	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 15/1 में संलग्न है।
16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित)।	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 16/1 से 16/5 में संलग्न है।
17.	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र।	वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 17/1 से 17/5 में संलग्न है।
18.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण।	वचन पत्र संलग्न नहीं है।	वचन पत्र संलग्न है।
19.	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण।	वचन पत्र संलग्न नहीं है।	वचन पत्र संलग्न है।
20.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही।	वचन पत्र संलग्न नहीं है।	वचन पत्र संलग्न है।
21.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र।	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र रकबा 920.000 हे. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि व्यपवर्तित वनभूमि का रकबा 515.581 हे. है, उक्त गैर वनभूमि का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	परिशिष्ट क्र. 21/1 में संलग्न है।
22.	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान।	आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	वचन पत्र संलग्न है।
23.	रिक्लेमेशन प्लान	रिक्लेमेशन प्लान के संबंध प्रमाणिकता संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 23/1 में संलग्न है।
24.	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माईनिंग प्रकरण में)	माईनिंग प्लान संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 24/1 में संलग्न है।
25.	व्यवस्थापन प्लान।	व्यवस्थापन प्लान संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 25/1 में संलग्न है।

FOR, PRAKASH INDUSTRIES LIMITED

 (A. K. CHATURVEDI)
 DIRECTOR (CORPORATE AFFAIRS)

क्र.	अभिलेख का विवरण	चाही गयी जानकारी का विशेष विवरण	अनुपालन
26.	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I to IV तक) प्रपत्र II इस कार्यालय से एवं प्रपत्र III एवं प्रपत्र IV वरिष्ठ कार्यालय (मुख्यालय) से भरा जावेगा।	संलग्न है।	संलग्न है।
27.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र।	संलग्न है।	परिशिष्ट क्र. 27/1 में संलग्न है।
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	परिशिष्ट क्र. 28/1 में संलग्न है।
29.	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हेक्टेयर में)	संलग्न किया जाना है।	संलग्न है।
30.	व.स.अ.- 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में।	संलग्न किया जाना है।	संलग्न है।
31.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि (रकबा हे. में)।	संलग्न किया जाना है।	संलग्न है।
32.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर स्थित हैं अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी।	संलग्न है।	परिशिष्ट क्र. 32/1 में संलग्न है।
33.	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	संलग्न है।	परिशिष्ट क्र. 33/1 में संलग्न है।
34.	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / F.C.11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009 ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें।	कलेक्टर सूरजपुर का प्रमाण-पत्र भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्धारित पारूप में संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 34/1 में संलग्न है।
35.	राजस्व वनक्षेत्र हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र। (कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)	संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 35/1 में संलग्न है।
36.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।	संलग्न है।	वचन पत्र संलग्न है।

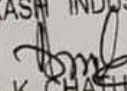
FOR, PRAKASH INDUSTRIES LIMITED

क्र.	अभिलेख का विवरण	चाही गयी जानकारी का विशेष विवरण	अनुपालन
37.	Clearance under FC Act 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA, Remittances to precede 2nd stage clearance. (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/7-I/2004 (CAMPA) Meeting 3038 दिनांक 12.05.2011)	संलग्न है।	वचन पत्र संलग्न है।
38.	"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक /6-MPC013/2008-BHO/357 दिनांक 24.10.2010)	संलग्न है।	संलग्न है।
39.	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ FC.Mo.2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)	संलग्न है।	वचन पत्र संलग्न है।
40.	Diversion of large area (more than 500 ha) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980- Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No.11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)	टंकण त्रुटि सुधार किया जाना है।	टंकण त्रुटि सुधार कर संलग्न है।
राज्य शासन से संबंधित अभिलेख			
41.	पंजीयन क्रमांक, पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)	पूर्ण विवरण संलग्न किया जाना है।	परिशिष्ट क्र. 41/1 में संलग्न है।
42.	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	संलग्न नहीं है।	परिशिष्ट क्र. 42/1 में संलग्न है।

FOR, PRAKASH INDUSTRIES LIMITED

(A. K. CHATURVEDI)
DIRECTOR (CORPORATE AFFAIRS)

क्र.	अभिलेख का विवरण	चाही गयी जानकारी का विशेष विवरण	अनुपालन
43.	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-CHC022/2010-BHO/934 दिनांक 25.05.2010)	आवश्यकता नहीं है।	आवश्यकता नहीं है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण-	संलग्न है।	Annexure No. 01 से 07 में संलग्न है।

FOR, PRAKASH INDUSTRIES LIMITED

 (A. K. CHATURVEDI)
 DIRECTOR (CORPORATE AFFAIRS)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O)

E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 9599

सूरजपुर, दिनांक/ 16 / 12 /2022

प्रति,

निदेशक,

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सीपत रोड़ बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भास्करपारा कोल खनन परियोजना हेतु प्रभावित वनभूमि 515.581 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत्।

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/MIN/149564/2021

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र.-151 दिनांक 12.12.2022

— 00 —

विषयांकित संदर्भित पत्र में आवेदक संस्थान प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिलासपुर द्वारा सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र कुदरगढ़ अंतर्गत भास्करपारा कोयला खनन परियोजना में संरक्षित वनभूमि 148.795 हे. तथा ग्राम राजस्व वनभूमि 366.786 हे. कुल वनभूमि रकबा 515.581 हे. वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षण में व्यपवर्तन प्रस्ताव में उल्लेखित कक्ष, आवेदित क्षेत्र के डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के के.एम.एल. फाईल में दर्शित कक्षों में मिलान न होकर त्रुटिपूर्ण है, लेख किया गया है।

भास्करपारा कोयला खनन परियोजना के व्यपवर्तित वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रभावित वनभूमि रकबा 515.581 हे. में से कक्ष क्रमांक पी 1618 रकबा 35.549 हे. उल्लेखित है, किन्तु गुगल मैप में परीक्षण करने पर आवेदित क्षेत्र एवं कक्ष क्रमांक पी 1618 की दूरी लगभग 1.000 कि.मी. दर्शित होना पाया गया है।

अतः प्रकरण में परिक्षेत्राधिकारी कुदरगढ़ से समन्वय स्थापित कर आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी 1618 में स्थित है या असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन) है? का स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर व्यपवर्तन प्रस्ताव 06 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तथा नारंगी वनक्षेत्र होने की स्थिति में कलेक्टर जिला सूरजपुर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- व्यपवर्तन प्रस्ताव 06 प्रतियों में।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर, वनमण्डल सूरजपुर

पृ. क्रमांक/मा.चि./ 9600

सूरजपुर, दिनांक/ 16 / 12 /2022

प्रतिलिपि:- 1. उपवनमण्डलाधिकारी ओडगी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2. वनपरिक्षेत्राधिकारी कुदरगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप आवेदक संस्थान से समन्वय स्थापित कर आवेदित क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 1618 में स्थित है या असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन) है? का स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार कर उपवनमण्डलाधिकारी ओडगी के माध्यम से इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।


वनमण्डलाधिकारी

सूरजपुर, वनमण्डल सूरजपुर